राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांकः प. 8(10)कृषि–3/2016 जयपुर, दिनांकः 17.11.2025

समन्वयक,
संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2025
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय,
बीकानेर।

विषयः–टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर को संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2025में सम्मिलित करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर को कृषि संकाय (बी.एस.सी एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम) में संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2025के माध्यम से 120 (अक्षरे एक सौ बीस) छात्र काउसलिंग के आधार पर सत्र 2025–26 के लिए आवंटित किये जाने की स्वीकृति निम्नाकित शर्तो के अनुसार एतद द्वारा प्रदान की जाती है:–

1. विश्वविद्यालय आगामी शैक्षणिक सत्र के पूर्व विश्वविद्यालय अधिनियम, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान सरकार के दिशा–निर्देश दिनांक 18.01.2018 की पूर्ण पालना तथा आई.सी.ए.आर(ICAR)से Accreditionप्राप्त किये जाने का शपथ –पत्र विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगा। (प्रारूप संलग्न)
2. इस विभाग के दिशा निर्देशों के कम में किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है तो राज्य सरकार द्वारा जांच कर विश्वविद्यालय में नवीन प्रवेश पर रोक लगा सकेगी तथा दी गयी अनुमति भी प्रत्याहरित की जा सकेगी।
3. विश्वविद्यालय के कैम्पस में संचालित बी.एस.सी एग्रीकल्चर पाठ्यकम में सत्र 2025–26 में छात्रों का प्रवेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा(JET)के अलावा विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य प्रकार के माध्यम से नही लिये जायेंगे।
4. विश्वविद्यालय में स्टाफ एवं छात्रों की बायो मैट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित की जावेगी। विभाग को स्टाफ एवं छात्रों की उपस्थिति देखने एवं जांचने का अधिकार होगा।
5. विश्वविद्यालय अपने अधिनियम की पालना हेतु कटिबद्व रहेगा।

भवदीया,
(स्नेहलता हारीत)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:–
1. विशिष्ठ सहायक, मा. कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, कृषि विभाग।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग।
4. कुलसचिव, टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न प्रारूप अनुसार एक शपथ पत्र रूपये 100/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस विभाग में प्रस्तुत करने पर ही स्वीकृति मान्य होगी।
5. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव